भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2880
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

2880. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया :

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को त्वरित, प्रभावी और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न संबंधित राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्यों तथा उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना और उन्हें शुरू किया है ;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु प्रदत्त निधि् का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या आम न्यायालयों की तुलना में ग्राम न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) सभी राज्यों में ग्राम न्यायालयों के कब तक कार्यशील होने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : नागरिकों को उनके द्वार तक न् याय को पहुंचाने के लिए केन् द्रीय सरकार ने ग्राम न् यायालय अधिनियम , 2008 अधिनियमित किया है । यह मध् यवर्ती पंचायत स् तर पर ग्राम न् यायालयों की स् थापना का उपबंध करता है । राज् य सरकारें अपने अपने उच् च न् यायालयों के परामर्श से ग्राम न् यायालयों की स् थापना करने के लिए उत् तरदायी हैं । राज् य

सरकारों /उच् च न् यायालयों द्वारा उपलब् ध करवाई गई सूचना के अनुसार , अब तक 11 राज् यों द्वारा 3 53 ग्राम न् यायालयों को अधिसूचित किया जा चुका है । जिनमें से वर्तमान में 9 राज् यों में 213 प्रचालन में हैं ।

केन् द्रीय सरकार ने राज् यों के मुख् य मंत्रियों तथा उच् च न् यायालयों के मुख् य न् यायमूर्तियों से अपने अपने राज् यों में ग्राम न् यायालयों का गठन करने के लिए अनुरोध किया है । हाल ही में , जनवरी , 2018 जुलाई , 2018 और नवम्बर, 2018 में उच् च न् यायालयों के महा रजिस् ट्रारों और राज्यों के विधि /गृह /वित् त सचिवों से वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से, ग्राम न् यायालयों की स् थापना करने तथा ऊपर वर्णित स् कीम के अधीन उनके प्रचालन के लिए वित् तीय सहायता मांगने का अनुरोध किया गया।

(घ) : केन् द्रीय सरकार वित् तीय सहायता प्रदान करके राज् यों को ग्राम न् यायालयों की स् थापना करने के लिए प्रोत् साहित कर रही है। ग्राम न् यायालयों की स् थापना तथा प्रचालन के लिए राज् य सरकारों की सहायता के लिए स् कीम के अनुसार , केन्द्रीय सरकार 18.00 लाख रु . प्रति ग्राम न् यायालय की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनावर्ती व्यय के मध्य राज् यों को एक मुश्त सहायता प्रदान करती है। केन् द्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 3.20 लाख रु . प्रति ग्राम न्यायालयों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए इन ग्राम न् यायालयों के प्रचालन हेतु आवर्ती व् यय के लिए भी सहायता प्रदान करती है ।

ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1.	महाराष्ट्र	0.00	79.00	0.00
2.	उत्तर प्रदेश	500.00	346.00	349.78
3.	केरल	0.00	375.00	450.22
कुल		500.00	800.00	800.00

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अभी तक किसी राज्य को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को देहलीज पर नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर 7 अप्रैल 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विर्मश किया गया था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ, यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारें तथा उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो ग्राम न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विनिश्चय करना चाहिए। अतः तद्नुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों पर है।

****